<u>न्यायालयः-अमनदीपसिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,</u> जिला बालाघाट(म0प्र0)

<u>आप.प्रक. क्रमांक 679 / 2005</u> संस्थित दिनांक—05 / 10 / 05 फा.नं. 234503000082005

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन

/ <u>/ विरुद्ध</u> / /

देवेन्द्र पिता सुमनसिंह ठाकुर, उम्र—27 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर—14 बूढ़ी बालाघाट जिला बालाघाट।

.....आरोपी

ः<u>निर्णयःः</u> { दिनांक 12 / 09 / 2017 को घोषित}

- 01. अभियुक्त के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा—379 के अंतर्गत दण्ड़नीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 30.03.2005 को समय 9:00 बजे ग्राम बैहर जो कि आरक्षी केन्द्र बैहर से आधा किलोमीटर की परिधि में है, में बी.बी. दमाहे के घर के सामने से प्रार्थी लोचनलाल के कब्जे की एक मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50बी.ए. 0279 को उसकी सम्मति के बिना बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी की।
- 02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी लोचन लिल्हारे ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दिनांक 30.03.2005 को अपनी हीरोहोण्डा स्पलेंडर कमांक एम.पी.50बी.ए.0279 को बी.बी. दमाहे के घर के सामने खड़ी कर दिया दिया था। रात्रि करीब 9:15 बजे बाहर निकलकर देखा तो उसकी हीरोहोण्डा मोटर सायिकल सामने नहीं थी। उक्त मोटर सायिकल को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाया गया होगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना दौरान आरोपी देवेन्द्र टाकुर को मोटर सायिकल सहित देखा गया है, जो परसवाड़ा रोड मुर—मुरिया नाला में छोड़ दिया और फरार हो गया है। मोटर सायिकल को जप्त कर न्यायालय के आदेशानुसार सुपुर्दनामा पर दी गई। आरोपी की पतासाजी की गई, किन्तु उसका पता नहीं चलने से उसके विरूद्ध फरारी में चालान न्यायालय में पेश किया गया था।

03. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोप को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

04. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :--

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 30.03.2005 को समय 9:00 बजे ग्राम बैहर जो कि आरक्षी केन्द्र बैहर से आधा किलोमीटर की परिधि में है, में बी.बी. दमाहे के घर के सामने से प्रार्थी लोचनलाल के कब्जे की एक मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50बी.ए.0279 को उसकी सम्मति के बिना बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी की ?

ःसकारण निष्कर्षःः

साक्षी लोचन लिल्हारे अ.सा.०७ का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना वर्ष 2005 की शाम पांच-छः बजे बैहर की है। घटना के समय वह अपने बहनोई बी.बी. दमाहे के घर बैहर आया हुआ था। उसने अपनी सिल्वर रंग की हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल क्रमाक एम.पी.50 / बी.ए.-0279 उनके घर के सामने खडी की थी। करीब एक घण्टे बाद वह बाहर निकला और देखा कि उसकी गाडी वहाँ पर नहीं थी। करीब एक-दो घण्टे पतासाजी करने पर, जब उसकी गाड़ी नहीं मिली, तब उसने थाना बैहर जाकर घटना की रिपोर्ट प्र.पी.02 दर्ज कराई थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस को उसने घटनास्थल बता दिया था। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटना का मौकानक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। घटना के करीब एक दो दिन बाद उसकी गाड़ी जंगल से बरामद हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके वाहन को कौन लेकर गया था, वह नहीं बता सकता, किन्तु यह अस्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 पर उसने कोरे कागज पर हस्ताक्षर किये थे। यह स्वीकार किया कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के नाम पर दर्ज कराई थी, किन्तू यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसका कथन उसे पढ़कर नहीं सुनाया था। यह अस्वीकार किया कि प्र.पी.03 की कार्यवाही पुलिसवालों ने थाने में बैठकर की थी। परिवादी की साक्ष्य घटना के संबंध में अखण्डनीय है, जिस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 से परिवादी A SILAN' BU के कथनों की पृष्टि होती है।

- साक्षी भूपेन्द्र अ.सा.04 का कथन है कि उसके साक्ष्य देने की तिथि से लगभग आठ-नौ वर्ष पूर्वे बैहर पुलिस ने एक हीरोहोण्डा मोटर सायकिल को परसवाड़ा रोड चिकयापाट नाला के पास जंगल में खडी मिली थी, जिसे जप्त कर पत्रक प्र.पी. 01 उसके समक्ष तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि दिनांक 30.03.2005 को रांत्रि लगभग 11 बजे जब वह अपने घर के सामने रोड पर खड़ा था, तो दो लड़के एक सफेद सिल्वर रंग की स्पलेंडर हीरोहोण्डा में बैठकर परसवाड़ा जा रहे थे। साक्षी के अनुसार वाहन का कलर आज उसे याद नहीं है। यह स्वीकार किया कि उक्त मोटर सायकिल के पीछे प्लेट में हरे रंग में स्टेट बैंक का मोनो डला हुआ था, किन्तू यह अस्वीकार किया कि उसने घटना के समय अच्छे से दोनों लडकों को देखा था। यह स्वीकार किया कि उक्त वाहन ही चिकयापाट नाला के पास जंगल में खड़ी अवस्था में मिली थी, जिसे पुलिस ने जप्त की थी तथा घटना काफी पुरानी होने से उसे संपूर्ण बात ध्यान नहीं आ रही है। यह स्वीकार किया कि उसने जो बयान दिया था, उसे पुलिस ने लेख की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना दिनांक को रात काफी हो गई थी, उसने पुलिस को गाडी का नंबर नहीं बताया था। साक्षी के अनुसार मोनो बताया था। यह स्वीकार किया कि उक्त रोड से बहुत सारे वाहन का आना-जाना होता है तथा बहुत सारे वाहनों में मोनो बना रहता है। यह स्वीकार किया कि वह निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि चोरी हुआ वाहन वही है तथा वाहन जप्ती की कार्यवाही थाने में हुई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि जप्ती की कार्यवाही थाने में हुई थी। साक्षी के अनुसार घटनास्थल पर हुई थी। यह स्वीकार किया कि जप्ती की कार्यवाही के समय उक्त दस्तावेज कोरा था और पुलिसवालों के कहने पर उसने हस्ताक्षर कर दिया था।
- 07. साक्षी रूपचंद अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपी एवं फरियादी को नहीं जानता है। उसके घटना की कोई जानकारी नहीं है। साक्षी से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने पुलिस को अ से अ भाग का बयान न देना व्यक्त किया।
- 08. साक्षी योगेश हिरवाने अ.सा.02 का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि दिनांक 30.03.2005 को रात के 11 बजे वह, भूपेन्द्र और रूपचंद के साथ रोड पर खड़ा था, परसवाड़ा तरफ से दो लड़के स्पलेंडर मोटर सायकिल से आये थे, उनकी प्लेट पर स्टेट बैंक लिखा हुआ था। दिनांक 03.04.2005 को पता चला कि मोटर सायकिल एम.पी.50बी.ए.0279

जंगल में रोड साईड खड़ी थी, मोटर सायकिल चोरी हुई थी, वहीं थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि पुलिस ने चालान के साथ यदि उसके पुलिस कथन पेश किये होंगे तो वह इसका कारण नहीं बता सकता।

- 09. साक्षी सुखमनदास अ.सा.03 का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि दिनांक 30.03.2005 को रात के 11:00 बजे वह, योगेश, भूपेन्द्र और रूपचंद के साथ रोड पर खड़ा था, परसवाड़ा तरफ से दो लड़के स्पलेंडर मोटर सायकिल से आये थे, उनकी प्लेट पर स्टेट बैंक लिखा हुआ था। दिनांक 02.04.2005 को पता चला कि मोटर सायकिल एम. पी.50बी.ए.0279 जंगल में रोड साईड खड़ी थी, मोटर सायकिल चोरी हुई थी, वहीं थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था तथा पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी।
- 10. साक्षी संतोष कुमार ठाकरे अ.सा.05 का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि दिनांक 30.03. 2005 को आरोपी देवेन्द्र ठाकुर हीरोहोण्डा स्पलेंडर कमांक एम.पी.50बी.ए.0279 रौंदाटोला तरफ इस नंबर की गाड़ी को चलाकर जा रहा था, जिसे उसने चलाते हुए देखा था। साक्षी ने पुलिस कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया। यह अस्वीकार किया कि वह आरोपी से मिल गया है, इसलिये न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।
- 11. साक्षी ए.एल. सरयाम अ.सा.०६ का कथन है कि वह दिनांक 30.03.2005 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी लोचन कुमार ने अपनी मोटरसाइकिल कमांक एम.पी.50 / बी.ए.—0279 कीमती 42,000 /— रूपये की चोरी जाने के संबंध मं रिपोर्ट अज्ञात आरोपी के विरूद्ध की थी जो प्र.पी.02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर फरियादी के हस्ताक्षर हैं। फरियादी की उपस्थिति में दिनांक 31.03.05 को घटनास्थल का निरीक्षण कर मौकानक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर फरियादी के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही फरियादी लोचन लिल्हारे, गवाह डी.बी.दमाहे, योगेश, सुखमनदास, भूपेन्द्र, संतोष टाकुर एवं दिनांक 02.04.05 को गवाह रूपचंद के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। उसी दिनांक को परसवाड़ा रोड से गवाह भूपेन्द्र एवं राहुल के समक्ष हीरोहोण्डा स्पलेण्डर सिल्वर रंग की कमांक एम.पी.50 / बी.ए.—0279 को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 तैयार किया था,

जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके उपरांत अग्रिम विवेचना हेतु केस डायरी थाना प्रभारी को सौंप दी गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि फरियादी लोचन कुमार लिल्हारे के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के नाम से रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि गवाह सुखमनदास, रूपचंद, संतोष एवं योगेश के बयान उसने थाने में बैठकर लेखबद्ध किये थे तथा संपूर्ण गवाहों ने अपने परीक्षण में बतलाया है कि पुलिस ने उनसे कोई बयान नहीं लिये थे, उसने जप्ती की कार्यवाही थाने में ही बैठकर तैयार किया था, उसने मौकानक्शा फरियादी के बताये अनुसार नहीं बिल्क अपने मन से तैयार कर लिया था। विवेचक साक्षी की साक्ष्य विवेचना के संबंध में अखण्डनीय है।

- उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना के समय परिवादी के 12. आधिपत्य से मोटर सायकिल की चोरी हुई थी, परंतु उक्त चोरी अभियुक्त द्वारा की गई थी, इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। जप्ती साक्षी भूपेन्द्र अ.सा.०४ तथा विवेचक ए.एल. सरयाम अ.सा.०६ की अखण्डनीय साक्ष्य से चोरी के पश्चात मोटर सायकिल परसवाड़ा रोड चकियापार नाला के पास जंगल में जप्त होना दर्शित है, परंतु उक्त वाहन अभियुक्त के आधिपत्य में था, संपूर्ण प्रकरण में यह कहीं भी दर्शित नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी तथा किसी भी व्यक्ति ने अभियुक्त को चोरी करते हुए नहीं देखा है। जप्ती स्थल अथवा उसके समीप में अभियुक्त की उपस्थिति के संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं है और ना ही अभियुक्त के मेमोरेन्डम के आधार पर जप्ती दर्शित है। केवल जप्ती साक्षी भूपेन्द्र अ.सा.०४ ने घटना की रात्रि दो लड़कों के सिल्वर रंग की स्पलेण्डर मोटर सायकिल में बैठकर परसवाड़ा जाने के कथन किये हैं, जिसमें स्टेट बैंक का मोनो लगा हुआ था। उक्त साक्षी ने दोनों लडकों को पहचानने से इंकार किया। विवेचक साक्षी द्वारा साक्षियों के पुलिस कथन में भी दो लड़कों के वाहन पर सवार होने का लेख किया गया है, परंतु अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के संबंध में संपूर्ण प्रकरण में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरूद्ध चोरी करने अथवा चुराई हुई संपत्ति के आधिपत्य में होने की कोई उपधारणा नहीं की जा सकती, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को परिवादी के आधिपत्य से मोटर सायकिल की चोरी की गई। अतः अभियुक्त देवेन्द्र ठाकुर को भा.दं०सं० की धारा–379 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 13. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

- 14. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मोटर सायिकल क्रमांक एम.पी.50बी.ए.0279 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।
- 15. अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान दिनांक 10.03.2006 से दिनांक 13.03.2006 तक, दिनांक 15.07.2011 से दिनांक 18.07.2011, दिनांक 23.03.2014 से दिनांक 28.03.2014 तक तथा दिनांक 29.01.2016 से 01.02.2016 तक अभिरक्षा में रहा हैं, इस संबंध में धारा—428 जा0फी0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / —
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही / —
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

A STATE SUNTY